का विभाग

विष

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

प्रकरण क0 डब्ल्यू.पी. 7632/2015 श्री देवेन्द्र कुमार ओव्हल (दैनिक वेतन भोगी) विरूद्ध म0प्र0 शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2015 के विरूद्ध रिट अपील दायर करने की अनुमति बावत्।

पंजी क0 886 दिनांक 27.02.2016

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।
2/ प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
म0प्र0 भोपाल से प्राप्त पत्र दिनांक 25.02.2016 द्वारा मुख्य
अभियंता, परिक्षेत्र इन्दौर के प्रस्तावानुसार प्रकरण की संक्षेपिका,
पारित निर्णय की प्रति एवं शासकीय अधिवक्ता का मत संलग्न
कर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण क0
डब्ल्यू.पी. 7632/2015 श्री देवेन्द्र कुमार ओव्हल (दैनिक वेतन
भोगी) विरूद्ध म0प्र0 शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक
05.11.2015 के विरूद्ध रिट अपील दायर करने की अनुमति
विधि विभाग से प्राप्त कर उपलब्ध कराने एवं कार्यपालन यंत्री,
संधारण खंड क्रमांक 2. नगरपालिक निगम इंदौर को प्रभारी
अधिकारी नियुक्त करने का निवेदन किया गया है।

3/ अतः प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता सुश्री मिनी रिवन्द्रन द्वारा दिये गये अभिमत दिनांक 11.01.2016 अनुसार प्रमुख अभियंता द्वारा प्रस्तावित प्रकरण क0 डब्ल्यू.पी. 7632/2015 श्री देवेन्द्र कुमार ओव्हल (दैनिक वेतन भोगी) विरुद्ध म0प्र0 शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2015 के विरुद्ध रिट अपील दायर करने की अनुमति विधि विभाग से प्राप्त कर उपलब्ध कराने एवं कार्यपालन यंत्री, संधारण खंड कमांक 2, नगरपालिक निगम इंदौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अमु०अधि०
स्पया हांगर से मारण प्रकान मा। उसके
विकास में उनिकारिका उपप्रेकी कीप प्रकान का
निकास कार मा पाहेंगे। तहनकार 'में प्रकान
प्रशासकीय अनुकोदनावी

उपराक्त कार्यालयीत रेप के क्रम में

P.t.p.

P-1/

P-7/c

P-10/

A

Bm's

6 Shri Bais

विषय:

प्रकरण क0 डब्ल्यू.पी. 7632/2015 श्री देवेन्द्र का विभाग कुमार ओव्हल (दैनिक वेतन भोगी) विरूद्ध म०प्र० शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2015 के विरूद्ध रिट अपील दायर करने की अनुमति बावत।

पूर्व पृष्ठ से:- पूर्व पृष्ठ पर प्रशासकीय अनुमोदन का कृपया अवलोकन करें। प्रकरण में प्रथमतः कार्यपालन यंत्री, संधारण खंड कमांक 2, नगरपालिक निगम इंदौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा।

तदानुसार मान्य होने पर प्रारूप/स्व.प्र.

अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है। अनु अधि.

उपटामानुकार आक्षा-पत्र छः

मेत्रमाडमार्ड ।

जायक क्रमांक 815-16 दिनांक 16-3-16

16.3.16 Shri Bair

छब्बीस-२ सद्भितालय

विषय:

उब्बोस-२ सचिवालय

प्रकरण क0 डब्ल्यू.पी. 7632/2015 श्री देवेन्द्र का लिखा कुमार ओव्हल (दैनिक वेतन भोगी) विरुद्ध म०प्रव शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2015 के विरूद्ध रिट अपील दायर करने की अनुमति बावत्।

पूर्व पृष्ठ से: पृष्ठ 2/एन पर प्रकरण में प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खंड क. 2, नगरपालिक निगम, इंदौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जा चुका/

अतः प्रकरण क0 डब्ल्यू.पी. 7632/2015 श्री देवेन्द्र कुमार ओव्हल (दैनिक वेतन भोगी) विरूद्ध म०प्र० शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2015 के विरूद्ध रिट अपील दायर करने की अनुमति जारी किये जाने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंक्रित करना चाहेंगे।

8 mis 21/8/16